न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2012/00020 **दायरा दिनांक : 01.05.2012**

उनवान

हीरा पुत्र मांगीलाल, जाति माली, निवासी पीपल्दी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राजस्थान)

.... अपीलांट

बनाम

1. भैरू पुत्र रूग्गा (मृतक) कायम मुकामान –
   1/1. भैरी बाई बेवा भैरू
   1/2. नन्दू पुत्री भैरू
   1/3. जमनी पुत्री भैरू
   1/4. काली पुत्री भैरू
   1/5. संती आयु 7 वर्ष पुत्री भैरू ना. बा. जरिये वली माता भैरी बाई
   1/6. भूरी आयु 10 वर्ष पुत्री भैरू ना. बा. जरिये वली माता भैरी बाई
   अकवाम जाति माली, निवासी पीपल्दी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राजस्थान)
2. भैरू पुत्र मांगीलाल, जाति माली, निवासी पीपल्दी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राजस्थान)
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अकलेरा, जिला झालावाड़ (राजस्थान)

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री सी.पी.खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 12.11.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 1296/दावा/95 निर्णय व फाईनल डिक्री दिनांक 31.12.2003 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम पीपल्दी, तहसील अकलेरा के माल में खाता संख्या 64 की 5 किता की 15 बीघा 06 बिस्वा आराजी रूग्गा बेटा खेमा तथा भैरू, हीरा पुत्र मांगीलाल के शामलाती खाते दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा ने अपने निर्णय व फाईनल डिक्री दिनांक 31.12.2003 से वादी का वाद स्वीकार किया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि आदेश एवं फाईनल डिकी विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर एवं आपत्तियां पेश करने का अवसर दिये बिना ही फाईनल डिकी का आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 22.12.2003 वास्ते पेपर पार्टीशन रिपोर्ट प्राप्त न होने

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पर आगामी पेशी दिनांक 09.02.2004 नियत की गई थी, परन्तु अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही पार्टीशन रिपोर्ट प्राप्त होते ही दिनांक 31.12.2003 को पत्रावली में पेशी में लेकर एक तरफा आदेश एवं फाईनल डिक्री पारित कर दी, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पूर्णतया विपरीत है, ऐसी स्थिति में आदेश एव फाईनल डिक्री निरस्त योग्य है। पेपर पार्टीशन रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा भी मौके पर अपीलांट को नहीं बुलाया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय ने भी बंटवारे के नियम 18 से 21 पर उचित गौर फरमाये बिना ही फाईनल डिक्री पारित कर दी, जो निरस्तनीय है।

विवादग्रस्त आराजी के मामले में करीब 50 वर्षों से पूर्व रेकार्ड मुताबिक मौके पर बराबर बराबर तीन हिस्से डले हुए हैं एवं मेड पड़ी हुई है परन्तु पेपर पार्टीशन रिपोर्ट में पूर्व कब्जे को ध्यान में नहीं रखा गया है, वर्तमान में भी अपीलांट एवं रेस्पोडेंट नं. 1, 2 का बराबर तीन हिस्सों पर अपना अपना कब्जा बना हुआ है। पेपर पार्टीशन रिपोर्ट में नक्शे में पक्षकारान के कब्जे की भूमि के मामले में दिशायें भी अंकित नहीं की गई है, खसरा नं. 189 की सम्पूर्ण आराजी रेस्पोडेंट कम 1 को दे दी गई है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि आदेश एवं फाईनल डिक्री दिनांक 31.12.2003 निरस्त की जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 09.04.2012 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विवादित आराजी के मामले में दिनांक 22.12.2003 को विभाजन पत्र के मामले में दिनांक 09.02.2004 को तारीख पेशी नियत की गई थी, परन्तु विभाजन पत्र प्राप्त होते ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09.02.2004 के पूर्व ही पत्रावली दिनांक 31.12.2003 को पेशी में लेकर केवल वकील वादी की सहमति के आधार पर विभाजन पत्र के मुताबिक फाईनल डिक्री जारी करने का आदेश पारित कर दिया और इसी अनुसार फाईनल डिक्री जारी कर दी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक तरफा अपीलांट के विरूद्ध फाईनल डिक्री पारित की गई है इसलिए अपीलांट को डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी। इसलिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है। इसलिए न्याय हित में जानकारी की दिनांक से अपील अवधि मध्य मानी जाकर अपील का मेरिट पर निर्णय पारित फरमाया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 22.12.2003 से पूर्णतया साबित है कि तहसील से पालना रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण 09.02.2004 तारीख दी गई थी, परन्तु नियत दिनांक से पूर्व ही विभाजन पत्र प्राप्त होने के कारण पत्रावली दिनांक 03.12.2003 को पेशी में लेकर आदेश एवं फाईनल डिक्री पारित कर दी, अपीलांट को विभाजन पत्र पर आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विभाजन पत्र पर उचित गौर नहीं फरमाया, विभाजन पत्र (पेपर पार्टीशन) आई.एल.आर. गेहूंखेड़ी द्वारा दिनांक 23.12.2003 को तहसील के आदेश

(दीप्ति रामचन्द्र मीणा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

दिनांक 04.02.2002 की पालना में तैयार किया गया जबकि मौके पर स्वयं तहसीलदार को जाना चाहिए था और पक्षकारान को सूचित करते हुए मौके पर पार्टीशन रिपोर्ट बंटवारे के नियम 18 से 21 को मध्य नजर रखते हुए तैयार की जानी चाहिए परन्तु आई.एल.आर. के विभाजन पत्र दिनांक 23.12.2003 में कहीं भी अंकित नहीं है कि सभी सहखातेदारान को वक्त बंटवारा पत्र बनाते समय मौके पर बुलाया गया हो।

बंटवारा पत्र बनाते समय मौके पर पक्षकारान के कब्जे का कोई ध्यान नहीं रखा गया। बंटवारे के नियमों की कोई पालना नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा भी अपीलांट को आपत्तियां पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय भी आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना की गई है। ऐसी स्थिति में फाईनल डिक्री निरस्त होने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व फाईनल डिक्री दिनांक 31.12.2003 निरस्त फरमायी जावे एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे कि वह विवादित मामले में मौके पर पक्षकारान को तलब कर बंटवारा प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार से तैयार करवा कर मंगवाये एवं अधीनस्थ न्यायालय अपीलांट को आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान करते हुए बंटवारे के नियम 18 से 21 के अनुसार पुनः आदेश एवं फाईनल डिक्री पारित करें।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए.आई.आर. 1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। परीक्षण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 31.12.2003 से वादी का वाद स्वीकार कर तहसील से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव दिनांक 27.12.2003 के आधार पर वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विवादित आराजी का बंटवारा कर वादग्रस्त आराजी को पृथक पृथक खाते दर्ज करने का आदेश प्रदान किया। परीक्षण न्यायालय इस निर्णय व अन्तिम डिक्री से अप्रसन्न होकर प्रतिवादी नं. 1 द्वारा यह अपील प्रस्तुत की है। अपीलांट के अभिभाषक द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 22.12.2003 से पूर्णतया साबित है कि तहसील से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण 09.02.2004 तारीख दी गई थी परन्तु नियत दिनांक से पूर्व ही विभाजन पत्र प्राप्त होने के कारण पत्रावली दिनांक 03.12.2003 को पेशी में लेकर आदेश व फाईनल डिक्री पारित कर दी। अपीलांट को विभाजन पत्र पर आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया। बंटवारे के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। अपीलांट के उक्त कथन की पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली आदेशिका दिनांक 22.12.2003 व 31.12.2003 तथा पत्रावली में सलंग्न बंटवारा प्रस्ताव से होती है। परीक्षण न्यायालय द्वारा तहसील से बंटवारा प्रस्ताव की रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु दिनांक 09.02.2004 नियत की गई थी परन्तु तहसील से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त होने पर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

दिनांक 31.12.2003 को एवं नियत तारीख दिनांक 09.02.2004 से पूर्व ही सुनवाई करते हुए केवल वकील वादी की उपस्थिति में आदेशिका दिनांक 31.12.2003 में यह अंकित करते हुए कि वकील वादी उप0 वकील वादी तहसील से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। मुताबिक विभाजन पत्र फाईनल डिक्री जारी की गई। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि फाईनल डिक्री प्रतिवादी अपीलांट की अनुपस्थिति में जारी की गई। इससे अपीलांट को विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। तहसील से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव पर भी प्रतिवादी अपीलांट के हस्ताक्षर अंकित नहीं है, केवल वादी की अंगूठा निशानी अंकित है। इससे भी प्रथम दृष्टया यही स्पष्ट होता है कि विभाजन प्रस्ताव प्रतिवादी अपीलांट की अनुपस्थिति में तैयार किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व फाईनल डिक्री दिनांक 31.12.2003 खारिज किया जाकर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि राजस्व मण्डल (बंटवारा) के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित कराते हुए पुनः तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर अपीलांट को सुनवाई व आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय व डिक्री पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 22.01.2025 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/11/2024

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा